न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/01/2022

थानाधिकारी पुलिस थाना डीग,

.....प्रार्थी0

बनाम

श्री यूनिस पुत्र साबूखां जाति तेली निवासी अनाह गेट बजरिया भरतपुर पुलिस थाना अटलबन्द भरतपुर वाहन मालिक

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 257/2022 धारा 5/8 में जप्त वाहन के बावत।

उपस्थित :-
1-ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,
2-श्री प्रवीण कुमार शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 3.8.2023

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना डीग जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 4.7.2023 जरिये मुखबिर सूचना मिली की डीग बस स्टेण्ड होती हुई एक पिकअप गाय से भरी आरही है, मौके पर पहुंचे वहा पिकअप को लोगों ने रोका हुआ था। पिकअप वाहन संख्या यूपी 85 सीटी 1695 चैक किया तो वाहन की वाडी में 04 गौवंश भरे मिले, वाहन में तीन व्यक्ति बैठे थे जो वावर्दी पुलिस को देख 1 व्यक्ति पिकअप से उतरकर भीड में खिसक गया गाडी के चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम बन्टी उर्फ शाहिद पुत्र साबू जाति मनिहार मुसलमान उम्र 24 साल निवासी ईदगाह कालोनी कुम्हेर गेट भरतपुर होना बताया व दूसरे पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम लव पुत्र ओम प्रकाश जाटव उम्र 20 वर्ष निवासी बजरंग कालोनी भरतपुर होना बताया। इनसे गायों के बारे में पूछा तो उक्त गौंवश को वध हेतु हरियाणा ले जाना बताया। गायों के ले जाने व

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

.....2

परिवहन बाबत लाईसेन्स पूछा गया तो इन्होने अपने पास कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया। मुलजिमान वन्टी व लव ने अपनी तफतीश पर बताया कि मुलजिम रोजेखां पुत्र चाहत जाति मेव निवासी ग्रांम कुकरपुरी थाना जुरहरा जो कि गायों को भरतपुर से हमारी पिकअप में लेकर आया था तथा हरियाणा बोर्डर पर अपने गांव के लिये ले जाना बताया मुलजिमान के पास गौवशं को राजस्थान से हरियाणा परिवहन करने का कोई वैध लाइसेंस परिमिट व रवन्ना नहीं था मुलजिमान गौंवश को बध के लिये ले जा रहे थे। इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य अपराध धरा 5/8 आरबीए एक्ट की तारीफ में आना पाया जाने गौंवश को बतौर सबूत एवं गाडी यूपी85 सीटी 1695 को जप्त किया गया। कार्यवाही करते हुये जप्त गौंवश को गौशाला जमा कराया, जप्तशुदा वाहन को सुरक्षार्थ थाना परिसर में खड़ा किया गया। अप्रार्थी पर दिनांक 4.7.2022 को मुकदमा नं0 257/22 धारा 5/8 आरबीए एक्ट में कायम किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। मुलजिमान के विरुद्ध अपराध धारा 5/8 आरबीए एक्ट प्रमाणित है। अतः जप्त शुदा वाहन नं यूपी85 सीटी 1695 को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये उन्हें प्रार्थना पत्र प्रकरण धारा 6ए गौवंश अधिनियम की नकल दी गई । अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी सरकार ओर से ए.पी.पी. ने अपनी बहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना ने दिनांक 4.7.2022 को मौके पर पहुंच लोगों द्वारा रोकी गई वाहन पिकअप रजि. यूपी85 सीटी 1695 की जांच की गई। गाडी में 4 गौवंश भरे मिले। जिनके बारे में अप्रार्थी चालक ने उक्त गौंवश को वध हेतू हरियाणा ले जाना बताया। अप्रार्थी के खिलाफ थाना में एफआईआर नं. 257/2022 धारा 5/8 आरबी एक्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा जप्त गौवंश को गौशाला में जमा कराया गया है। ए.पी.पी. का यह भी कहना है कि अप्रार्थी के पास गौवंश को राजस्थान सीमा से अन्य राज्य हरियाणा के लिये गौवंश ले जाने का कोई अधिकृत परिमिट नहीं था। राजस्थान सीमा से अन्य राज्य की सीमा में गौवंश को परिवहन करने पर प्रतिबन्ध किया हुआ है। जप्त वाहन पिकअप रजि. यूपी85 सीटी 1695 गौंवश परिवहन में लिप्त पाई गई, जिससे गौंवश को राजस्थान सीमा से परिवहन कर हरियाणा राज्य में ले जाया जारहा था। ए.पी. पी. का यह भी तर्क है गौवंश को तस्करी कर गौवध के लिये हरियाणा राज्य में

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

परिवहन करने पर राजस्थान सीमा पर अवरार कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, उपरोक्त गौतस्कर के वाहन के खिलाफ पुर्ण धारा 6 व 8 आरपीए एक्ट 1995 का प्रमाणित होता है। अप्रार्थीगण का यह कृत्य अपराध धारा 6 / 8 एवं धारा 6ए के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधिनियम स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन को राजसात किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में बताया कि अप्रार्थी ने गौवंश अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी गाडी मालिक के वाहन में गौकशी के उद्देश्य से गौवश को ले जाना अपनी एफआईआर पर गलत दर्ज किया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि दिन के समय गौकशी के लिये दूध देने वाली गायों को गौकशी के लिये ले जाना सम्भव नहीं है। गायों का रवन्ना जिला पशु क्रूरता निवारण समिति भरतपुर के द्वारा वाहन संख्या यूपी 85 सीटी 1695 रसीद संख्या 37 दिनांक 4.7.2022 तादादी 55/– रुपये काटी गई थी। निजी तौर पर गायों की खरीद फरोख्त होती है उसका रवन्ना नहीं बनता है। जप्त गौवंश पूर्णतय स्वस्थ्य व दुधारु हैं जिसको गौकशी के लिये नहीं ले जारहा था। गाय व बछड़ों को भाडे पर ले जाने के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कहना है कि गांव के व्यक्तियों के दवाव में आकर गलत तरीके से जप्त की गई है। गाड़ी पुलिस थाना परिसर में खुले में खड़ी हुई है जिसके खुले में खड़े रहने खराब हो रही है। पुलिस थाना डीग द्वारा समस्त कार्यवाही गलत तथ्यों के आधार पर की गई है। विचाराधीन कार्यवाही निरस्त की जाकर जप्त वाहन को रिलीज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) का अध्ययन किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 Transporter to be abettor:–

> "......Whenver the bovine animals are trasported by any means of transport in furtherance of the object of colimission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided under section 8 of the Act for person committing the said offence........"

..........4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 की धारा 11 :–

"Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं।

1–क्या जप्त वाहन गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन किये जाने लिप्त था ?

2–क्या अप्रार्थी0 वाहन मालिक के पास गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन करने का सक्षम अधिकारी का परमिट था?

1, – राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राजस्थान राज्य की सीमा के किसी भी स्थान से अन्य राज्य में किसी भी स्थान को निर्यात परिवहन प्रतिबन्धित किया हुआ है। थाना अधिकारी डीग ने दिनांक 4.7.2022 को गौवंश को गौतस्करी कर ले जाने की सूचना पर मौके पर जाकर उक्त बोलरो पिकअप न0 यूपी 85 सीटी 1695 को चैक किये जाने पर उक्त वाहन पिकअप में 04 गौवंश मिले। वाहन में मौजूद व्यक्तियों ने पूछताछ में गौवंश को राजस्थान से हरियाणा गौकसी को ले जाना बताया गया है। जप्त गौवंश को पुलिस द्वारा गौशाला में दाखिल करवाया हुआ है। उक्त वाहन द्वारा प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन कर ले जाये जाने कोई सक्षम अधिकारी की स्वीकृति परमिशन नही थी। पुलिस थाना द्वारा गौवंशीय पशु को राजस्थान की सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन करते हुये जप्त किया गया है।

2– गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से अन्य राज्य में लेने जाने परिवहन करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा परमिशन जारी की जाती है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का अपने जवाब में यह कहना कि गायों का रवन्ना जिला पशु क्रूरता निवारण समिति भरतपुर के द्वारा वाहन संख्या यूपी 85 सीटी 1695 रसीद संख्या 37 दिनांक 4.7.2022 तादादी 55/– रुपये काटी गई थी, निजी तौर पर गायों की खरीद फरोख्त होती है उसका रवन्ना नहीं बनता है, गाय व बछड़ों को भाडे पर ले जाने के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है अप्रार्थी के ये कथन स्वीकार योग्य नहीं रहते हैं। क्यों कि राजस्थान गौवंशीय पशु (वध प्रतिषेध और अस्थायी निनियमन प्रवास या निर्यात) अधिनियम में स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य से बाहर

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

गौवंशीय पशु ले जाने या परिवहन करने के लिये सक्षम अधिकारी की परमिशन की आवश्यकता होती है। जहां तक प्रश्न अप्रार्थी. की ओर से प्रस्तुत रसीद जिला पशु क्रूरता निवारण समिति भरतपुर मेला ग्राउण्ड में पशु हाट स्थल पर प्रवेश होने पर 55/– रुपये की टोल के रुप में वसूल कर जारी की गई है, उक्त कथित रसीद से अप्रार्थी को राजस्थान राज्य सीमा से अन्य राज्य की सीमा में गौंवशीय पशु को परिवहन करने की अनुमति नहीं मानी जा सकती है, जो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से मदद नहीं करती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति ने जप्त गौवशं को छुड़वाने के लिये ऐसा कोई प्रार्थना पत्र हमारे समक्ष पेश नहीं करना इस बात को ताईद करता है कि गौवंश दुधारु नहीं था, बल्कि गौवध को हरियाणा ले जाया जा रहा था। इस प्रकार प्रार्थी थाना अधिकारी डीग द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधि0 के साथ प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती गौवंश, जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, फर्द मौका नक्शा एवं बयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या वाहन संख्या यूपी 85 सीटी 1695 गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाया गया है। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन बोलरो पिकअप संख्या वाहन संख्या यूपी 85 सीटी 1695 गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। अप्रार्थीगण वाहन का यह कृत्य राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 5,6 व 8 का उलंघन है तथा दण्डनीय अपराध है। उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहन नं. यूपी 85 सीटी 1695 राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया :–

3– Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely :

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.....Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत जप्त वाहन पिक संख्या यूपी 85 सीटी 1695 वाहन पर राशि 300000/– (तीन लाख रुपये) जुर्माना (Fine) कायम की जाना एवं जुर्माना राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त वाहन पिक संख्या यूपी 85 सीटी 1695 को राजसात (confiscate) किये जाने से पूर्व वाहन मालिक प्रार्थी को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन पर जुर्माना (Fine) राशि 300000/– (तीन लाख रुपये,) राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। वाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना डीग, को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 3.08.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर